ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्याः–39/2019

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

गोमती नगर विस्तार–7
पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

दिनाँकःसितम्बर, 13, 2019

विषय–बच्चा चोरी की अफवाहों से अर्धविक्षिप्त व्यक्तियों के हताहत होने की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में।

कृपया वर्तमान में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर कुछ क्षेत्रों में घटित हो रही घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में घटनाओं के कारकों एवं घटकों की विषयवस्तु की समीक्षा किये जाने पर प्रकाश में आया है कि गाँवों व मुहल्लों में भटक रहे अर्द्धविक्षिप्त व मानसिक रूप से विक्षिप्त पुरूष एवं महिला ही इस अफवाह का शिकार हो रहे हैं। इन अफवाहों के सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में प्रचारित व प्रसारित होने के फलस्वरूप आम जनता में असमंजस का माहौल बन रहा है, जिस कारण कानून–व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसी घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पुलिस स्तर से अपेक्षित कार्यवाही की क्रियान्वयन किये जाने की विधि व्यवस्था **"मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987"** में प्राख्यापित हैं प्रत्येक थाना सीमा क्षेत्र में इधर–उधर निराश्रित भटक रहे अर्द्धविक्षिप्त व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उन्हे शालीनता पूर्वक विधि संगत तरीके से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर प्राप्त आदेश के अनुपालन में नियमानुसार उनको अस्पताल या उनके परिवारीजन को सुपुर्द कर, इस प्रकार की घटनाओं पर रोकथाम हेतु प्रयास किया जाय।

उक्त क्रम में आप सभी को संज्ञानित किया जाना है, कि इस परिप्रेक्ष्य में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखरेख से सम्बन्धित विधि व्यवस्था **"मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987"** के अध्याय–4 के भाग–3 के परिशिष्ट 'ख' में उद्धृत है। पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पेश किये जाने एवं प्राप्त आदेश पर कार्यवाही के अनुक्रम में धारा–23, 24, 25, 26, 27, 28, एवं 29 तक में पुलिस थाने के प्रत्येक भारसाधक अधिकारी की शक्तियों एवं कर्तव्यों को उपबन्धित किया गया है जिनका उद्धरण परिशिष्ट **'क'** में अंकित है।

उपरोक्त क्रम में भारतीय दण्ड संहिता–1860 के अध्याय–04 में वर्णित "साधारण अपवाद" की धारा–84 तथा पुलिस रेगुलेशन के अध्याय–13 में निर्दिष्ट पैरा–161 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 के अध्याय–25 में विकृतचित्त अभियुक्तों/व्यक्तियों के बारे में उपबंधित धारा–328 से–339 तक भी अवलोकनीय है।

Scanned by CamScanner

अतः आपसे अपेक्षित है कि उपरोक्त वर्णित व संलग्न **परिशिष्टि–क** में वर्णित विधिक नियमों के अनुक्रम में अपने–अपने जनपद के थाना क्षेत्रों में निराश्रित भटक रहे कतिपय मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों (महिला–पुरूष) को शालीनता पूर्वक नियमानुसार सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर उनको मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार अस्पताल या उनके परिवारीजनों/नातेदारों को यथा सम्भव सुपुर्द कर बच्चा चोरी के अफवाह का शिकार हो रहे ऐसे व्यक्तियों को हताहत होने से बचा कर इस प्रकार की मिथ्या अफवाहों पर विराम लगायें एवं प्रदेश में पूर्ण शान्ति व्यवस्था स्थापित कराते हुये आम जनमानस के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि बनाये जाने की दिशा में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

13.9.19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद–उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव 'गृह' उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त क्रम में जिला मजिस्ट्रेट एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पुलिस कार्यवाही में यथोचित सहयोग प्रदान किए जाने हेतु सभी को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतुः–

1.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, ए0टी0एस0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3.पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner

मानिसक स्वास्थ्य अधिनियम–1987

(1987 का अधिनियम संख्यांक 14)

धारा–23. पुलिस अधिकारियों की कतिपय मानिसक रूप से बीमार व्यक्तियों के सम्बंध में शक्तियां और कर्तव्य–(1) पुलिस थाने का प्रत्येक भारसाधक अधिकारीः–

(क) अपने थाने की सीमा के भीतर इधर–उधर घूमते–फ़िरते पाए गए किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी संरक्षा में ले सकेगा या लिवा सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति मानिसक रूप से इतना बीमार है कि वह स्वयं अपनी देख–रेख करने में असमर्थ है।

(ख) अपने थाने की सीमा के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षा में ले सकेगा या लिवा सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मानिसक बीमारी के कारण खतरनाक है।

(2) उपधारा (1) के अधीन संरक्षा में लिए गए किसी व्यक्ति को ऐसी संरक्षा में लिए जाने के आधार की यथाशीघ्र सूचना दिए बिना या जहां ऐसे व्यक्ति को संरक्षा में लेने वाले अधिकारी की राय में ऐसा व्यक्ति उन आधारों को समझने में समर्थ नहीं है, वहां उसके नातेदारों या मित्रों को, यदि कोई हो, ऐसे आधार की सूचना दिए बिना पुलिस द्वारा निरुद्ध नहीं किया जाएगा ।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस धारा के अधीन संरक्षा में लिया जाता है या निरुद्ध किया जाता है ऐसी संस्था में उसके लिए जाने के चौबीस घण्टे की अविध के भीतर, जिसमें से वह समय निकाल दिया जाएगा जो उस स्थान से जहां वह ऐसी संरक्षा में लिया गया था, मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक हो, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और वह मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा ।

धारा–24. मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति के पेश किए जाने पर प्रतिक्रिया–(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और यदि उसकी राय में आगे कायर्वाही के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेटः–

(क) उसकी समझने की सामर्थ्य जानने के लिए उसकी परीक्षा करेगा।

(ख) किसी चिकित्सा अधिकारी से उसकी परीक्षा कराएगा।

(ग) ऐसे व्यक्ति के सम्बंध में ऐसी जाँच करेगा जो वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कायर्वाहियां पूरी हो जाने के पश्चात् मजिस्ट्रेट किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में अंतरंग रोगी के रूप में उक्त व्यक्ति के निरोध को प्राधिकृत करने वाला ग्रहण–आदेश निम्नलिखित दशा में पारित कर सकेगाः–

(क) यदि चिकित्सा अधिकारी ऐसे व्यक्ति के बारे में यह प्रमाणित करता है कि मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति है।

(ख) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि उक्त व्यक्ति मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति है और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसके वैयक्तिक क्षेम के हित में या अन्य व्यक्तियों के संरक्षण के लिए ऐसा आदेश पारित करना आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

परन्तु यदि मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति का कोई नातेदार या मित्र यह चाहता है कि मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति को उपचार के लिए विशिष्ट रूप से अनुज्ञप्त किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या अनुज्ञात मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में भेजा जाना चाहिए और वह ऐसे अस्पताल या परिचर्या गृह में मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति के भरण–पोषण का खर्च चुकाने के लिए मजिस्ट्रेट के समाधानप्रद रूप में लिखित रूप से वचनबद्ध होता है तो मजिस्ट्रेट ऐसे अस्पताल या परिचर्या गृह के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी के सहमत होने पर उस अस्पताल या परिचर्या गृह में मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति की भर्ती के लिए और उसमें उसके निरोध के लिए ग्रहण–आदेश करेगा।

परन्तु यह और कि यदि मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति का कोई नातेदार या मित्र, उतनी रकम का, जितनी मजिस्ट्रेट अवधारित करे प्रतिभुओं सहित या उनके बिना कोई बंधपत्र लिखता है जिसमें यह वचन दिया जाता है कि मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति की समुचित देख–रेख की जाएगी और उसे स्वयं को या दूसरे को कोई क्षति पहुँचाने से रोका जाएगा, तो मजिस्ट्रेट ग्रहण–आदेश करने के बजाय उसे उसके नातेदार या मित्र की देख–रेख में सौंप सकेगा ।

<u>धारा–25</u>. मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ क्रूरता का व्यवहार किए जाने या उसे समुचित देख–रेख और नियंत्रण में न रखे जाने की दशा में आदेश–

(1) पुलिस थाने का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके थाने की सीमा के भीतर कोई व्यक्ति मानिसक रूप से बीमार है और वह समुचित देख–रेख और नियंत्रण में नहीं है या कोई नातेदार या कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति भारसाधक है, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है तो वह ऐसे मजिस्ट्रेट को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति निवास करता है, इस तथ्य की तुरन्त रिपोर्ट देगा।

(2) ऐसा कोई प्राइवेट व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति मानिसक रूप से बीमार है और वह समुचित देख–रेख और नियंत्रण में नहीं है या मानिसक रूप से बीमार ऐसे व्यक्ति को भारसाधन में रखने वाले किसी नातेदार या अन्य व्यक्ति द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो वह इस तथ्य की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को करेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति निवास करता है ।

(3) यदि मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त रिपोर्ट या सूचना के आधार पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मानिसक रूप से बीमार कोई व्यक्ति समुचित देखरेख और नियंत्रण में नहीं है या उसको भारसाधन में रखने वाला कोई नातेदार या कोई अन्य व्यक्ति है उसके साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करा सकेगा और ऐसे नातेदार या अन्य व्यक्ति को समन कर सकेगा जो ऐसे मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति का भारसाधक है या जिसे भारसाधक होना चाहिए था ।

(4) यदि ऐसा नातेदार या कोई अन्य व्यक्ति मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति का भरण–पोषण करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा ऐसा नातेदार या अन्य व्यक्ति से ऐसे मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति की समुचित देख–रेख करने की अपेक्षा कर सकेगा और जहां ऐसा कोई नातेदार या अन्य व्यक्ति जानबूझकर उक्त आदेश का अनुपालन करने में उपेक्षा करेगा वहां वह जुर्माने से जो दो हजाए रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

Scanned by CamScanner

(5) यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति के भरण–पोषण करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो या यदि मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति का भरण–पोषण करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का भरण–पोषण करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है या किसी अन्य कारणवश मजिस्ट्रेट ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करा सकेगा और ऐसी किसी कायर्वाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उपधारा (4) के अधीन की जाए, धारा 24 में उपबंधित रीति से इस प्रकार कायर्वाही कर सकेगा मानो ऐसा व्यक्ति धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन उसके समक्ष पेश किया गया हो ।

धारा–26. समीक्षण के पश्चात् अंतरंग रोगी के रूप में भर्ती– यदि किसी जिला न्यायालय की, जो अध्याय 6 के अधीन कोई जाँच किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बंध में कोई समीक्षण कर रहा है, जो मानिसक रूप से बीमार पाया गया है यह राय है कि ऐसे व्यक्ति के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि उस व्यक्ति को किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मानश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में अंतरंग रोगी के रूप में भर्ती किया जाए और उसमें रखा जाए और जिला न्यायालय ऐसे प्रत्येक आदेश में समय–समय पर परिवर्तन या उसे प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

धारा–27. मानिसक रूप से बीमार बंदी की भर्ती और निरोध–बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का 31) की धारा 30 के अधीन या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 144 के अधीन या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 145 के अधीन या नौ सेना अधिनियम 1957 (1957 का 62) की धारा 143 अथवा 144 के अधीन, या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 330 या धारा 335 के अधीन कोई आदेश जिसमें मानिसक रूप से बीमार बंदी के किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में प्रवेश के लिए निदेश दिया गया है, इस बात के लिए पर्याप्त रूप से प्राधिकार दने वाला होगा, कि उसे ऐसे अस्पताल या परिचर्या गृह में या किसी ऐसे अन्य मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय पिरचर्या गृह में जहां वह निरुद्ध किए जाने के लिए विधिपूवर्क अन्तरित किया जा सकता है, प्रवेश मिले ।

धारा–28. चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट लम्बित रहने तक उस व्यक्ति का निरोध जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह मानसिक रूप से बीमार है–

(1) जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह मानसिक रूप से बीमार है, धारा 23 या 25 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है, या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह मानिसक रूप से बीमार है, किसी साधारण अस्पताल या साधारण परिचर्या गृह या मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह के संप्रेक्षण वार्ड में या किसी समुचित स्थान में समुचित चिकित्सीय अभिरक्षा के अधीन दस दिन से अनिधक ऐसी अविध के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा जो मजिस्ट्रेट किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह अवधारित कर सकने के लिए आवश्यक समझे कि क्या उस व्यक्ति का, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह मानिसक रूप से बीमार है धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन चिकित्सा प्रमाणपत्र उचित रूप से दिया जा सकता है ।

(2) मजिस्ट्रेट उपधारा (1) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए समय–समय पर लिखित आदेश द्वारा, उस व्यक्ति का जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह मानिसक रूप से बीमार है, ऐसी

Scanned by CamScanner

अवधि के लिए और निरोध प्राधिकृत कर सकेगा जो वह ठीक समझे किन्तु यह अवधि एक बार में दस दिन से अधिक की नहीं होगी ।

परन्तु ऐसा कोई प्राधिकार नहीं दिया जाएगा जिससे कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कुल मिलाकर तीस दिन से अधिक की लगातार अवधि के लिए निरुद्ध किया जाए।

धारा–29. मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति का तब तक निरोध जब तक उसे मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में नहीं ले जाया जाता–जब किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 22, धारा 24, या धारा 25 के अधीन कोई ग्रहण–आदेश किया जाता है, तो वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, निदेश दे सकेगा कि वह मानिसक रूप से बीमार व्यक्ति, जिसके सम्बंध में आदेश किया गया है, ऐसे स्थान में तीस दिन से अनधिक की ऐसी अविध के लिए, जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, तब तक निरुद्ध किया जाए जब तक कि उसे किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में नहीं ले जाया जाता।

Scanned by CamScanner